रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230427
CG-DL-E-14102021-230427

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
No. 459] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

फा. सं. एनसीटीई–रेगु.10122/8/2020–यूएस(विनियम)–मुख्या. (ई).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) के धारा 12क के साथ पठित धारा 32 के उप–धारा (2) के खंड (घघ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अपने विनियम 2014 (पूर्व–प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) को संशोधित करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

1. लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन.– (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व–प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों मे शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) संशोधन विनियम 2021 कहलांएगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने वाली तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) विनियम 2014, में प्रथम अनुसूची, स्तर 4 और स्तर 5 के सामने, प्रविष्टि (ग) के बाद न्यूनतम अकादमिक और व्यावसायिक अर्हताएं शीर्षक के तहत, निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, अर्थातः–

"अथवा

(घ) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम. एड."

केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./330/2021-22]

नोट : मूल अधिसूचना दिनांक 16 दिसंबर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 62–1/2012एनसीटीई (एन तथा एस), दिनांक 12 नवंबर 2014 के रूप में प्रकाशित हुई थी।

NATIIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2021

F. No. NCTE-Regl0122/8/2020-US(Regulation)-HQ. (E).—In exercise of the powers conferred under clause (dd) of sub-section (2) of section 32 read with section 12A of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following amendments to amend the National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Persons to be recruited as Education Teachers and Physical Education Teachers in Pre-primary, Primary, Upper Primary, Secondary, Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges) Regulations, 2014, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Persons to be recruited as Education Teachers and Physical Education Teachers in Pre-primary, Primary, Upper Primary, Secondary, Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges) Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Persons to be recruited as Education Teachers and Physical Education Teachers in Pre-primary, Primary, Upper Primary, Secondary, Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges) Regulations, 2014, in the First Schedule against the, LEVEL 4 and LEVEL 5, after entry (c) under the heading MINIMUM ACADEMIC AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS, the following entries shall be inserted, namely:-

"OR

(d) Post-Graduation with a minimum 55% marks or equivalent grade and three-year integrated B.Ed.-M.Ed."

KESANG Y. SHERPA, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./330/2021-22]

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 16th December 2014 *vide* number 62-1/2012 NCTE (N&S), dated the 12th November 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2021.10.14 23:07:07 +05'30'